संख्या-104/2025/936/सैंतीस-2-2025/001-1(7)/2017टीसी

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-12 जून, 2025

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (रा.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1172/उ.प्र.प.चि.परि./2025-26, दिनांक-29.05.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-02-राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम-0210-उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (रा.यो.) के निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि रू0-107.59 लाख (रूपये एक करोड़ सात लाख उन्सठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
01-वेतन	57.96
02-मजदूरी	0.10
03-मंहगाई भत्ता	34.78
04-यात्रा व्यय	0.30
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.10
06-अन्य भत्ते	0.10
08-कार्यालय व्यय	1.15
09-विद्युत देय	3.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.20
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.70
13-टेलीफोन पर व्यय	0.20
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1.20
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.20
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0.10
29-अनुरक्षण	1.50
42-अन्य व्यय	0.50
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.10
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0.10
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.10
49-चिकित्सा व्यय	0.50
51-वर्दी व्यय	0.10
55-मकान किराया भत्ता	1.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	3.60
योग-	**107.59**

(रूपये एक करोड़ सात लाख उन्सठ हजार मात्र)

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न किया जाय। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इससे व्यय नई मदों में न किया जाय। जहां तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय।
3. विभागाध्यक्षों एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
4. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों/सामग्रियों आदि का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। जेम पोर्टल पर दरें उपलब्ध न होने की दशा में ही इनका क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार किया जायेगा।
5. जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय करते समय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।
8. प्रस्ताव में आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
9. निर्माण/अनुरक्षण कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि का आहरण करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक-26 अगस्त, 2014 के प्राविधानों के अनुसार कार्यदायी संस्था से प्राप्त आगणन का मूल्यांकन एवं परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करा ली जायेगी।
10. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27.03.2025 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था का निर्धारण कराने के उपरान्त ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण/अनुरक्षण कार्यों हेतु किया जायेगा।
11. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वितीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
12. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2403001010210 (उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (राज्य योजना))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	015	2403001010210 उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (राज्य योजना)	01 वेतन	57,96,000 (रुपये सत्तावन लाख छियानबे हजार मात्र)
2	015	2403001010210 उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (राज्य योजना)	02 मजदूरी	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
3	015	2403001010210 उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (राज्य योजना)	03 मंहगाई भत्ता	34,78,000 (रुपये चौंतीस लाख अठहत्तर हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4	015	2403001010210 उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (राज्य योजना)	04 यात्रा व्यय	30,000 (रुपये तीस हजार मात्र)
5	015	2403001010210 उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (राज्य योजना)	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
6	015	2403001010210 उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (राज्य योजना)	06 अन्य भत्ते	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
7	015	2403001010210 उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (राज्य योजना)	08 कार्यालय व्यय	1,15,000 (रुपये एक लाख पन्द्रह हजार मात्र)
8	015	2403001010210 उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (राज्य योजना)	09 विद्युत देय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
9	015	2403001010210 उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (राज्य योजना)	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
10	015	2403001010210 उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (राज्य योजना)	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	70,000 (रुपये सत्तर हजार मात्र)
11	015	2403001010210 उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (राज्य योजना)	13 टेलीफोन पर व्यय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
12	015	2403001010210 उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (राज्य योजना)	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1,20,000 (रुपये एक लाख बीस हजार मात्र)
13	015	2403001010210 उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (राज्य योजना)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
14	015	2403001010210 उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (राज्य योजना)	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
15	015	2403001010210 उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (राज्य योजना)	29 अनुरक्षण	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
16	015	2403001010210 उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (राज्य योजना)	42 अन्य व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
17	015	2403001010210 उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (राज्य योजना)	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

18	015	2403001010210 उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (राज्य योजना)	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
19	015	2403001010210 उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (राज्य योजना)	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
20	015	2403001010210 उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (राज्य योजना)	49 चिकित्सा व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
21	015	2403001010210 उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (राज्य योजना)	51 वर्दी व्यय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
22	015	2403001010210 उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (राज्य योजना)	55 मकान किराया भत्ता	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
23	015	2403001010210 उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (राज्य योजना)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	3,60,000 (रुपये तीन लाख साठ हजार मात्र)
	कुल			**1,07,59,000** **(रुपये एक करोड़ सात लाख उनसठ हजार मात्र)**

महायोग	1,07,59,000 (रुपये एक करोड़ सात लाख उनसठ हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-104/2025/936(1)/सैंतीस-2-2025/001-1(7)/2017टीसी, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।